न्यूज़ टुडे

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 6.25% कर दिया

मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगभग **पांच साल** के अंतराल के बाद **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)** के तहत **नीतिगत रेपो रेट में कटौती** का निर्णय लिया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- RBI ने मौद्रिक नीति पर अपना रुख 'तटस्थ' ही बनाए रखा है।
  - तटस्थ रुख यह दर्शाता है कि RBI **मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने में लचीलापन** बनाए हुए है।
- **वित्त वर्ष 2026** के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर **6.7% रहने का अनुमान** है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव** में महत्वपूर्ण **"नरमी या कमी"** आने की संभावना है, जबकि **कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद** है, लेकिन यह मध्यम बनी रहेगी।

MPC के निर्णयों का औचित्य

- **मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज** की गई है। साथ ही, **संवृद्धि दर** में 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निचले स्तर से **सुधार होने की उम्मीद** है।
- **वैश्विक वित्तीय बाजारों** में अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है और
- **प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ-साथ वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में** अनिश्चितताएं जारी रहेंगी।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में

- इसे **वर्ष 2016** में संशोधित RBI अधिनियम, **1934** की धारा **45ZB** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए **केंद्र सरकार गठित** करती है।
- **इसमें छह सदस्य होते हैं:** यह **6 सदस्यीय समिति** है। इसके **3 सदस्य RBI से** तथा **3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित** होते हैं। सदस्य **चार साल या अगले आदेश** तक पद पर बने रहते हैं।
- MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर (Policy Rate) निर्धारित करती है। **मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के सहनीय स्तर के साथ) निर्धारित** किया गया है।

तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) के बारे में

- यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उपयोग **केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन** करने के लिए किया जाता है। इसमें **रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट** शामिल हैं।
  - **रेपो रेट** वह ब्याज दर है, जिस पर **केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी की कमी की स्थिति में उन्हें धन उधार** देता है। इसके विपरीत, रिवर्स रेपो रेट वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक **अपनी अधिशेष धनराशि को केंद्रीय बैंक के पास रख** सकते हैं।

विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि 2009 से अब तक 15,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है

भारत में अवैध आप्रवासन के **हॉटस्पॉट राज्य हैं- गुजरात, पंजाब, हरियाणा** आदि।

- ऐसे प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के लिए ज्यादातर **"डंकी रूट"** का इस्तेमाल करते हैं, जो कि **लैटिन अमेरिकी देशों से होकर गुजरता** है।
  - **इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना** जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए **वीजा ऑन अराइवल** की सुविधा है। **ब्राजील और वेनेजुएला में भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीजा** मिल जाता है।
- इसके अतिरिक्त, एक प्रवासी की विकसित देशों में अवैध यात्रा **अक्सर मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा निर्धारित** होती है। इसमें उनके **एजेंट शामिल** होते हैं।

अवैध प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक

- **बेहतर अवसर:** भारत में पर्याप्त रोजगार एवं आर्थिक संभावनाओं की कमी जैसे कई कारक मौजूद हैं जो व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बेहतर रोजगार की संभावनाएं खोजने के लिए बाध्य करते हैं।
- **सीमित वैध माध्यम:** धीमी और अनिश्चित वीजा प्रक्रिया लोगों को अवैध माध्यम अपनाने के लिए मजबूर करती है।
- **सफलता की संस्कृति:** कुछ समुदाय (जैसे गुजरात में पटेल) सामाजिक दबाव के कारण पारिवारिक जमीन बेचने या ऋण लेकर प्रवास करने को मजबूर होते हैं।

अवैध प्रवासन को रोकने के उपाय

- **ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2024 को पारित करना चाहिए,** ताकि वैध प्रवासन और श्रमिक सुरक्षा में सुधार किया जा सके।
- **धोखाधड़ी को रोकना** भर्तीकर्ताओं को विनियमित करके और नौकरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके ऐसा किया जा सकता है।
- **कूटनीति को मजबूत करना** निष्पक्ष निर्वासन नीतियों और बेहतर वीज़ा पहुंच के लिए यह आवश्यक है।
- **आर्थिक समस्याओं को दूर करना** जैसे- बेरोजगारी और कृषि संकट से निपटना।
- **जागरूकता का प्रसार करना** यह सुरक्षित प्रवासन और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जरूरी है।

ऐसे प्रवास से उत्पन्न होने वाले परिणाम

- प्रवासियों को **डकैती, हमले और यहां तक कि महिला प्रवासियों को बलात्कार** का भी खतरा होता है। साथ ही, ऐसे अपराधों की अक्सर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।
- सफलतापूर्वक अमेरिका पहुंचने की यात्रा में **8-10 दिन** लगते हैं। इस दौरान प्रवासियों की मृत्यु होने पर उनके शवों को घर नहीं भेजा जाता है।
- अवैध तरीके से विकसित देश जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण **मानव तस्करी का नेटवर्क फल-फूल** रहा है।
  - **एजेंट और मानव तस्कर अत्यधिक शुल्क** लेते हैं तथा नौकरी एवं वैध प्रवासी दर्जा दिलाने का वादा करते हैं।

भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

यह जानकारी **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** ने दी है। यह उपलब्धि (इन्फोग्राफिक्स देखें) **2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता** के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्त्व

- **भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं:** भारत का ऊर्जा उपयोग **वैश्विक औसत का तीन गुना है**। साथ ही, **अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की वैश्विक मांग में भारत की 25% हिस्सेदारी** होगी। उल्लेखनीय है कि **सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने** में मदद करती है और **पर्यावरणीय प्रभाव को कम** करती है।
- **उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य: अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों** के अंतर्गत, भारत का लक्ष्य **2030 तक उत्सर्जन तीव्रता (Emissions intensity) में 45% की कटौती** करना तथा **50% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता** प्राप्त करना है।
- **जल सुरक्षा:** कोयले के विपरीत, सौर ऊर्जा **जल पर निर्भर नहीं** होती। इससे जल की कमी से निपटने में मदद मिलती है।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण:** तेजी से क्षमता विस्तार के साथ **ऑफ-ग्रिड विद्युत उत्पादन को समर्थन** मिल रहा है। इससे दूरदराज के क्षेत्रों को लाभ होता है।

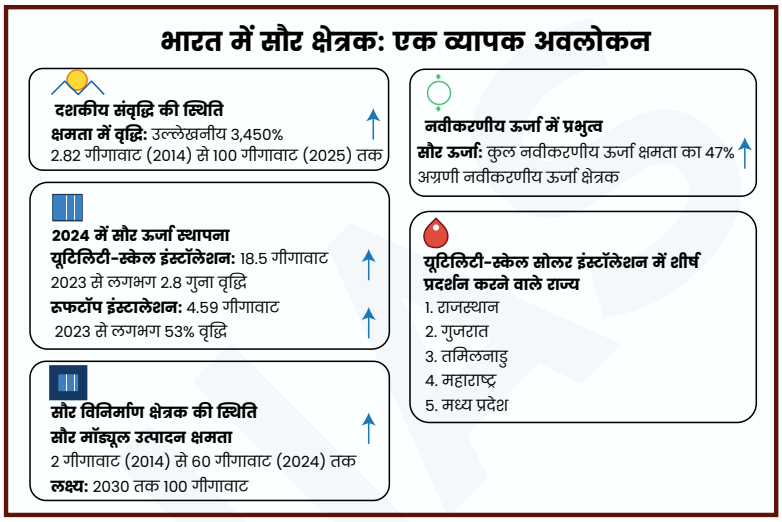

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना:** इसके तहत **मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने** का लक्ष्य तय किया गया है।
- **सौर पार्क योजना:** इसके तहत वैधानिक मंजूरी के साथ **डेवलपर्स के लिए तैयार अवसंरचना उपलब्ध** कराई जाती है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश:** इस क्षेत्रक में **स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) की अनुमति है।
- **ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM):** यह एक्सचेंजों के माध्यम से **सौर ऊर्जा व्यापार को सक्षम** बनाता है।

हालांकि स्थापना संबंधी अधिक लागत, भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां, ग्रिड संबंधी अस्थिरता, हीट वेव्स एवं आयातित सौर पैनल्स पर निर्भरता जैसी समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित किया जाएगा

यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इन स्थलों को **राज्यों के साथ साझेदारी** में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य **पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत** करना है।

- राज्यों को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए **भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (HML) के तहत वर्गीकृत** किया जाएगा।

इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **रोजगार आधारित विकास:** इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है।
- **आध्यात्मिक पर्यटन:** विशेष रूप से बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म):** इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में अग्रणी बनाने के लिए **"हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा** देना शामिल है।
- **ज्ञान भारतम मिशन:** भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना।

पर्यटन क्षेत्रक का योगदान:

- वित्त वर्ष 2023 में GDP में इसका योगदान **5%** रहा था। इसी अवधि में इस क्षेत्रक ने **7.6 करोड़ रोजगार** सृजित किए थे।
- 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी **1.8 प्रतिशत** थी। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय के मामले में भारत **14वें स्थान** पर पहुंच गया।

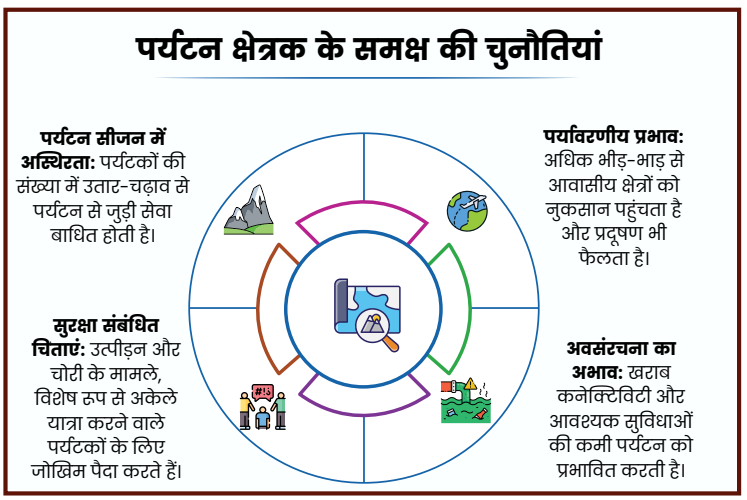

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **अवसंरचना का विकास:** इसमें स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए RCS-उड़ान योजना आदि शामिल हैं।
- **नीति एवं कानूनी:** राष्ट्रीय पर्यटन नीति, विविध श्रेणियों के लिए ई-वीजा आदि।
- **थीमेटिक टूरिज्म:** इसमें आरोग्य, पाककला, ग्रामीण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- **NIDHI/ निधि (आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस):** यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रक में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कौशल भारत कार्यक्रम' के पुनर्गठन और 2026 तक विस्तार को मंजूरी दी

कौशल भारत कार्यक्रम (Skill India Programme) को केंद्रीय **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत 2015** में शुरू किया गया था।

- इस कार्यक्रम का लक्ष्य **2022 तक 40 करोड़** लोगों को अलग-अलग कौशलों में प्रशिक्षित करना था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर **2026** कर दी गई है। कौशल प्रशिक्षण निम्नलिखित **प्रमुख पहलों के माध्यम से दिया जा रहा है:**
  - राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM);
  - कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति (2015);
  - प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY); तथा
  - कौशल ऋण योजना।

'पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम' के बारे में

- इसमें **तीन प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित** किया गया है। इन तीन योजनाओं से **2.27 करोड़ से अधिक** लोग लाभान्वित हुए हैं।
- **योजना के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**

प्रधान-मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)	▷ यह योजना **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप लघु-अवधि प्रशिक्षण और 'रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग'** प्रदान करती है। ▷ यह **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर** उपलब्ध कराने और **श्रमिकों के कौशल सुधार पर ध्यान** केंद्रित करती है। ▷ यह **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन** आदि में 400+ नए पाठ्यक्रम जोड़कर नई तकनीकों एवं भविष्य के लिए कौशल विकास पर फोकस करती है। ▷ **लक्षित लाभार्थी: 15-59 वर्ष की आयु वर्ग** के व्यक्ति।
प्रधान-मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS)	▷ यह योजना **शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार में आसानी से प्रवेश** करने हेतु **प्रशिक्षुओं को उद्योग-विशेष की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर बल** देती है। ▷ **प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 25% मानदेय के रूप में वित्तीय सहयोग का प्रावधान** किया गया है, **जिसकी अधिकतम राशि 1,500 रुपये प्रतिमाह** होगी। इससे प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षु प्रतिष्ठानों, दोनों को मदद मिलेगी। ▷ **लक्षित लाभार्थी:** 14-35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति।
जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना	▷ इसके तहत **महिलाओं, ग्रामीण युवाओं** आदि को समुदाय-आधारित **अनुकूल और वहनीय आधार पर उनके घर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण** दिया जाता है। ▷ इसके तहत **स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, लैंगिक समानता और शिक्षा** को बढ़ावा दिया जाता है। ▷ इसे **प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN), अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ-लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल (उल्लास/ ULLAS)** कार्यक्रम और अन्य सरकारी पहलों से जोड़ा गया है। ▷ **लक्षित लाभार्थी:** 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति।

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थापना पहले **1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक आयोग** के रूप में की गई थी।

- **2004 में इस अधिनियम को निरस्त** कर दिया गया था। तब से आयोग **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक निकाय** के रूप में कार्य कर रहा है।
- इसका **कार्यकाल समय-समय पर सरकार द्वारा संकल्पों** के माध्यम से **बढ़ाया** जाता है।

NCSK को सौंपे गए कार्य

- सफाई कर्मचारियों आदि की स्थिति में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में **केंद्रीय सरकार को कार्यक्रमों या उपायों की सिफारिश करना।**
- सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास के लिए लागू **योजनाओं का मूल्यांकन** करना।
- **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आयोग:**
  - इस अधिनियम के **कार्यान्वयन की निगरानी** करता है;
  - इस अधिनियम के **प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच** करता है;
  - इस अधिनियम के प्रावधानों के **प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह** देता है; और
  - इस अधिनियम के किसी भी **प्रावधान के गैर-कार्यान्वयन के लिए स्वतः संज्ञान** लेता है।
- **अन्य:** इसमें **कार्यस्थल दशाओं** (स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं वेतन) की निगरानी करना; सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर **सरकार को रिपोर्ट** देना आदि शामिल हैं।

सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाले समस्याएं:

- सफाई कर्मचारी खतरनाक कार्यस्थल दशाओं के चलते **त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे एक्जिमा, स्केली डर्माटाइटिस आदि से ग्रस्त** हो जाते हैं।
- सामाजिक हेय भावना के चलते अधिकांश सफाई कर्मचारी मुख्य रूप से **हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं, जिन्हे सामाजिक सुरक्षा के अभाव और प्रणालीगत बहिष्कार का सामना** करना पड़ता है।

सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE/ नमस्ते) योजना:** यह **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है।
  - इसका उद्देश्य **खतरनाक दशाओं में मानव द्वारा सफाई को रोकना** तथा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से **सुरक्षित सफाई पद्धति को बढ़ावा** देना है।
- **स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के दिशा-निर्देशों** के तहत, **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय** सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों को उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दे रहा है।

अन्य सुर्ख़ियां

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग

सेबी ने **रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया है।

- एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से खरीदने/ बेचने संबंधी आदेशों को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है।
- वर्तमान में केवल **संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस** (DMA) के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति है।

विनियामकीय फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **एल्गोरिदम का वर्गीकरण**
  - **व्हाइट-बॉक्स:** इसमें लॉजिक (कार्य प्रणाली) का खुलासा किया जाता है और इसे दोहराया भी जा सकता है, अर्थात एल्गो निष्पादन।
  - **ब्लैक-बॉक्स:** इसमें लॉजिक उपयोगकर्ता के लिए ज्ञात नहीं होता और इसे दोहराया नहीं जा सकता।
- **खुदरा व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग संबंधी सीमाएं:** खुदरा व्यापारियों को एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा, जिन्हें अभी तय किया जाना बाकी है।
- **एल्गो प्रदाताओं का पंजीकरण:** एल्गो प्रदाताओं को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें एल्गो बेचने के लिए **एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण कराना होगा और ब्रोकर के साथ साझेदारी करनी होगी।**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने **माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़** से विस्थापित आदिवासियों के बारे में **तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से आंकड़े एकत्र** करने को कहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे संविधान के **अनुच्छेद 338A (89वें संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में शामिल)** के तहत स्थापित किया गया है।
  - अनुच्छेद 338A को **89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003** के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
- **संरचना:** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (प्रत्येक का कार्यकाल **3 वर्ष** का होता है)।
  - **अध्यक्ष का पद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** के दर्जे के बराबर होता है; **उपाध्यक्ष का पद राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर** होता है तथा अन्य **सदस्यों का पद केंद्र सचिव के दर्जे के बराबर** होता है।
- **महत्वपूर्ण कार्य:**
  - अनुसूचित जनजातियों के लिए **सुरक्षा उपायों की निगरानी** करना;
  - अनुसूचित जनजातियों को उनके **अधिकारों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की जांच** करना;
  - **सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाओं** पर सलाह देना आदि।
- **शक्तियां:** इसे **सिविल कोर्ट** की शक्तियां प्राप्त हैं।

संविधान का अनुच्छेद 200

सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को सहमति न देने के बाद भी उसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है या नहीं।

अनुच्छेद 200 के बारे में

- राज्य विधान-मंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, राज्यपाल:
  - इस पर सहमति देता है,
  - सहमति नहीं देता है,
  - इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है।
- विधेयक को लौटाना: यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो राज्यपाल इसे सिफारिशों के साथ लौटा सकता है। हालांकि, यदि इसे फिर से पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को इसे मंजूरी देनी होगी।
- राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना: यदि विधेयक संबंधित हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है, तो राज्यपाल को इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना होगा।

डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी।

डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- अवस्थिति: असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
- नदियां: उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों से तथा दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा हुआ है।
- वनस्पति: आर्द्र मिश्रित अर्ध-सदाबहार और पर्णपाती वन, जिनमें पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट भी शामिल है।
- जीव-जंतु: जंगली घोड़े, बाघ, हाथी, तेंदुआ और जंगल कैट्स।

बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा)

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू वायरस का दूसरा जीनोटाइप (जीनोटाइप D1.1) पाया गया।

- अब तक डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू के सभी मामलें जीनोटाइप B3.13 से संबंधित रहे हैं।

बर्ड फ्लू के बारे में

- कारक: एवियन इन्फ्लूएंजा टाइप A वायरस।
- वायरस की सतह पर मौजूद दो प्रोटीनों के आधार पर इसके दो सब-टाइप्स हैं:
  - हेमाग्लगुटिनिन (HA) और न्यूरामिनिडेज़ (NA)।
- वायरस के वाहक और संरक्रमण: प्रवासी जंगली पक्षी (विशेष रूप से जलपक्षी) एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के नेचुरल होस्ट हैं।
- मनुष्यों में संक्रमण: वायरस के कुछ सब-टाइप्स मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके संक्रमण से H5N1 जैसी गंभीर श्वसन बीमारियां हो सकती हैं।
- लक्षण: बुखार, थकान, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द आदि।

रोडोडेंड्रॉन (बुरांश)

एक हालिया अध्ययन में नागालैंड में रोडोडेंड्रोन वाटी पर मंडरा रहे खतरों को उजागर किया गया है। साथ ही, मणिपुर में पहली बार नई ऑर्किड प्रजाति दर्ज की गई है।

रोडोडेंड्रॉन के बारे में

- यह फूलों वाले पौधों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इनमें 1,000 से अधिक वन्य प्रजातियां शामिल हैं।
- वितरण:
  - ये मुख्यतः हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं।
  - ये कम संख्या में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य-पूर्व और पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं।
- मान्यता:
  - रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इसे लाली गुरांस भी कहा जाता है।
  - गुलाबी रोडोडेंड्रॉन हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है।
- इसे जलवायु परिवर्तन के लिए संकेतक माना जाता है और पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है।

स्वावलंबिनी

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया।

स्वावलंबिनी के बारे में

- यह असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनिंदा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को आवश्यक उद्यमशीलता सोच, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे सफल उद्यमी बन सके।
- यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपनी उद्यमिता सोच को सतत संभावनाओं में बदलने में मदद करने के लिए छह महीने का मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है।

दशावतार थियेटर

हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए।

दशावतार थिएटर के बारे में

- यह एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका पिछले आठ सौ वर्षों से मंचन हो रहा है।
- दशावतार से आशय भगवान विष्णु (जगत के पालनहार) के दस अवतारों से है।
  - ये दस अवतार हैं- मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि।
- विशेषताएं: कलाकार रंग-बिरंगे मेक-अप करते हैं और वेशभूषा पहनते हैं। इस मंचन के दौरान तीन संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता है: हारमोनियम, तबला और झांझ।
- लोकप्रियता: महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले और गोवा के उत्तरी गोवा जिले में।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

पनामा (राजधानी: पनामा सिटी)

भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पनामा में सड़क, सामुदायिक केंद्र तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सुधार जैसी परियोजनाओं को भारतीय अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

पनामा के बारे में

- भौगोलिक अवस्थिति
  - अवस्थिति: यह मध्य अमेरिकी देश है। यह पनामा स्थलसंधि (Isthmus) पर स्थित है।
    - पनामा स्थलसंधि वास्तव में भूमि की एक संकरी पट्टी है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है।
  - प्रादेशिक सीमाएं: इसकी सीमाएं पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया से लगती हैं।
  - समुद्री सीमाएं: पनामा की सीमाएं उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती हैं।
- भौगोलिक विशेषताएं
  - प्रमुख नदियां: रियो चाग्रेस, रियो चेपो आदि।
  - प्रमुख पर्वत श्रेणियां: पश्चिम में तबासारा पर्वत (कॉर्डिलेरा सेंट्रल) और पूर्व में कार्डिलेरा डी सैन ब्लास।
  - पनामा नहर: यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला मानव-निर्मित जलमार्ग है। इस तरह यह समुद्री व्यापार के लिए स्वेज नहर के समान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है।